राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तुलसीराम बनाम विमला देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	447/2019	
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित एवं रेस्पो. स्वयं अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण पुन: अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2013 पारित करते हुये तहसीलदार फुलेरा को आराजी खसरा नम्बर 16/1/1 रकबा 76 बीघा 13 बिस्वा, 78 रकबा 10 बिस्वा, 79/181 रकबा 5 बिस्वा, 80 रकबा 17 बिस्वा, 81 रकबा 03 बिस्वा, 82/182 रकबा 15 बिस्वा, 87 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, 171 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, 85 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, 86 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, 88 रकबा 02 बीघा किता 11 कुल रकबा 101 बीघा 06 बिस्वा लगानी 78.16 वाके श्योसिंहपुरा उर्फ़ गुजरो का बॉस प.ह. तह. मुंडियागढ़ उप. रेनवाल तह. फुलेरा जिला जयपुर का विभाजन मौके एवं कब्जे के अनुसार अलहदा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2014 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2014 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे अपीलार्थी की बहस उचित प्रतीत होती है एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | विचाराधीन प्रकरण में प्राथमिक डिक्री में उल्लेखित खसरा नम्बरान एवं अन्तिम डिक्री में अंकित खसरा नम्बरान में भिन्नता है, जिसका कोई राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**तुलसीराम बनाम विमला देवी** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आधार अपीलाधीन निर्णय में अंकित भी नही किया गया है | ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना उचित समझा जाता है | अत: अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रावधानों के अनुरूप बाद सुनवाई उभयपक्षकारान प्रकरण के तथ्यों को विवेचित करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर